

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा  
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

बनाम

बुगीदेवी आदि

पुष्पा आदि

दावा बाबत :- 88 RTA d

मुकदमा नम्बर :- 161/21

निर्णय दिनांक :- 10.11.21

वादी की ओर से वकील श्री दीवान सिंह की व प्रतिवादी सं० ०१ की ओर से वकील श्री दीवान सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.11.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्री मीरा चम 40PN के खाता सं० 40/66 के मु० न० 15, 16, 21, 22, 23 की कुल 13.409 हे० में प्रतिवादी के परि कुनील कुमार के नाम 1.490 हे० भूमि व चम 50PN के खाता सं० 84/69 के मु० न० 33, 34, 40, 41 की कुल 15.180 हे० वारानी क्षति भूमि में कुनील कुमार के नाम 3.3733 हे० क्षति भूमि में प्रतिवादी पुष्पा का हिस्सा भूमि निज जागत व कुनील कुमार का नाम कुतमजन डिजा जागत वारीगण बुगीदेवी, पुष्पा व हिस्सा वराण के खाते का आरंभ कि जाते व पुष्पा देवी द्वारा व्याज सम्पूर्ण हिस्सा पर निपमानुसार साम्य डूरी अदा करने व क्षति भूमि रद्द हे तो रद्द मुक्त क्षेत्र पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिजॉर्ड में अंका कट रिजॉर्ड उक्त हिस्सा जागे। राजीनामा डी डी डी का मंग पठा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

गई।

(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़